🏆विशेष प्रश्नोत्तरी🏆
🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️
आज दिनांक *01जून 2024* को प्रश्नोत्तरी शेयर की जा रही है जिसका मूल मकसद "सीखो और सिखाओ" है। *इस प्रश्नोत्तर को* *हमारे एडमिन साथी नरेंद्र सिंह सालासर पद:- सहायक प्रशासनिक अधिकारी* ने तैयार किया है।

प्रश्न : स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में
🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️
उत्तर :-
संक्षित नाम
1. इन नियमो का नाम राजस्थान स्थाई पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रित की अनुकंपा नियुक्ति नियम 2023 है
स्थाई पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी
1. अखिल भारतीय सेवाओं के राजस्थान राज्य संवर्ग के किसी सदस्य सहित ऐसा व्यक्ति , जिसे राज्य के कार्यकलापों के संबंध में नियोजित किया गया था, और ड्यूटी पर रहते हुए किसी *दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त हो गया हो और जो नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात कोई स्थायी या अस्थायी पद धारित कर रहा था , प्रोबेशन ट्रेनी भी सम्मलित है।
आश्रित
अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 2(ग) एवं समय समय पर संसोधित आदेशानुसार।

स्थायी पूर्ण दिव्यांग

1. दोनो हाथों की हानि या उच्चतर स्थान से अंग - विच्छेद होना
2. एक हाथ और एक पैर की हानि
3. पूरा पैर या जांघ का दोहरा अंग - विच्छेद या एक तरफ का पैर या जांघ पर से अंग - विच्छेद और दूसरे पैर की हानि।
4. ऐसी सीमा तक दृष्टि खो देना कि दावेदारी ऐसे किसी कार्य को करने में असमर्थ ही जाए जिसके लिए आंखों की रोशनी आवश्यक हो
5. चेहरे की अति गंभीर विकृति
6. पूर्ण बाधिरता
7. मानसिक दुर्बलता जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम बनाए
8. कर्मकारों की व्यावसायिक अर्थात सिवरेज, स्वच्छता, खनन और विद्युत में दुर्घटना।
टिप्पणी *चिकित्सा प्रमाण पत्र*
1. स्थायी पूर्ण दिव्यांगता का निर्धारण स्थायी शारीरिक क्षीणता का मूल्यांकन करने के लिए चिकित्सकों के लिए मैनुअल (DGRH) WHO - AHMS नई दिल्ली 1981) के अनुसार किया जावेगा।
2. विभागाध्यक्ष अस्थि रोग, विभागाध्यक्ष भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास और राजस्थान के किसी राजकीय चिकित्सा महाविधालय के विभागाध्यक्ष न्याय विज्ञान और संबंधित दिवतंगता के किसी विशेषज्ञता से मिलकर गठित किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र लिया जावेगा।
नियुक्ति की शर्ते
1. स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की तिथि की कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की गई हो ।
2. दिव्यांगता कार्मिक को पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अनुसार *असमर्थता पैशन*

BULLETANGEL

दिव्यांगता होने की तिथि से 1 साल के भीतर - भीतर पेंशन के लिए आवेदन करना होगा।
3. अनुकंपा नियुक्ति नियम 5 के अंतर्गत कुटुंब का कोई भी सदस्य दिव्यांगता होने के समय या आश्रित की नियुक्ति के समय राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, पूर्णतया या अंशत स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कानूनी बोर्ड, संगठन या निगम में, नियमित आधार पर पहले नियोजित नहीं हो।
पद का चयन
L 1से 9 तक चतुर्थ श्रेणी, लिपिकवर्गीय सेवा, अधीनस्थ सेवा के सीधी भर्ती के पदो पर नियुक्ति दी जावेगी।
आयु
1. संबधित सेवा नियमो के अधीन आयु सीमा होगी
2. दिव्यांग की पत्नी के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष होगी।
3. आयु की गणना आवेदन प्राप्ति की दिनांक से होगी।

विशेष
1. पैशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन स्थायी पूर्ण दिव्यांगता के कारण निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृति की तारीख से 90 दिन की कलावधि के भीतर - भीतर आवेदन करना होगा।
Pm admin
Pm info
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

BULLETANGEL